कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 24940

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

पत्रांकः 170/वि0उ0शि0नि0मं0/हरिद्वार दिनांकः–04.04.2024

कंपनी सचिव,
उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लि0
वी.सी.वी. गबर सिंह,
ऊर्जा भवन, कांवली रोड़
देहरादून।

विषयः माह मार्च 2024 में पारित निर्णयों की प्रतियां।

महोदय,

मंच द्वारा माह मार्च 2024 में पारित निर्णयों की प्रतियां आपको निम्न तालिकानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

माह	परिवाद संख्या
मार्च 2024	05/2024, 13/2024, 24/2024, 25/2024, 26/2024, 27/2024. 14/2024, 19/2024, 16/2024, 17/2024, 20/2024, 21/2024, 28/2024

आदर सहित

(प्रतिलिपि संलग्न)

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
हरिद्वार क्षेत्र

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 05 / 2024

परिवादी :– श्रीमती सुमन सिंघल पत्नी स्व0 प्रदीप कुमार सिंघल, 72 / 6, वुडलैंड शोरूम के सामने, हरिद्वार हाईवे, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 11.03.2024**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सुमन सिंघल पत्नी स्व0 प्रदीप कुमार सिंघल, 72 / 6, वुडलैंड शोरूम के सामने, हरिद्वार हाईवे, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– 680K000026944 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वह अपना बिल का भुगतान नियमित रूप से कर रहे थे, परन्तु अचानक विभाग ने रू0 251466.00 का बिल भेजा है जो कि नियमित बिलों से अलग है। विभाग ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा मीटर को पीछे किया गया है लेकिन वह ऐसा नही कर सकती हैं क्योंकि मीटर परिसर के बाहर लगा हुआ है और मीटर पीछे करवाने के लिए कुछ भी पता नहीं है। विभाग ने चैक मीटर दिनांक 19.06.2023 को लगाया, यह उनकी जानकारी में नहीं है और सिलिंग प्रमाण पत्र में उनके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। विभाग ने चैक मीटर अपने आप ही लगाया और अपने आप ही उतार लिया जिसकी जानकारी उनको नहीं है। विभाग ने अचानक से उनके ऊपर बिल रू0 251466.00 का बना दिया है। पुराना मीटर विभाग की तरफ से ही लगाया गया था और नया मीटर भी विभाग के द्वारा लगाया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका उक्त बिल माफ करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 286 दिनांक 24.01.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित मीटर की चैकिंग के संबंध में मै0 वाईएमपीएल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर विद्युत परीक्षणशाला नगरीय रूड़की द्वारा दिनांक 19.06.2023 को चैक मीटर सं0 5136229 स्थापित किया गया। दिनांक 26.07.2023 को सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षणशाला नगरीय, रूड़की द्वारा चैक मीटर सं0 5136229 फाईनल किया गया तथा पुराना मीटर सं0 19628240 उतारा गया जो कि के0वी0ए0एच0 में 26.93 प्रतिशत धीमा (Low B phase voltage) पाया गया जो कि परीक्षणशाला नगरीय रूड़की द्वारा पत्र सं0 141 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा सिलिंग प्रमाण पत्र खण्ड कार्यालय को प्रेषित किये गये। खण्ड कार्यालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0 5179 दिनांक 06.11.2023 के द्वारा 1 वर्ष का निर्धारण धनराशि रू0 251466.00 निर्गत कर उपभोक्ता के विद्युत बीजक / बिलिंग लेजर में जोड़ दिये गये थे। उपभोक्ता द्वारा निर्धारण बीजक पर मौखिक रूप से अपनी आपत्ति व्यक्त की गई। जिसके उपरान्त टैम्पर रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपभोक्ता का निर्धारण संशोधित

क्रमशः......02

करते हुए खण्ड कार्यालय पत्रांक 237 दिनांक 22.01.2024 के द्वारा धनराशि रू0 82977.00 कर दिया गया जिसकी एक प्रति उपभोक्ता को भी प्रेषित कर दी गई है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री मयंक सिंघल तथा विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) श्री सजल हटवाल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 26 किलोवाट विद्युत भार पर दिनांक 30.06.2016 से गतिमान है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.07.2023 तक एमयू आधार पर, दिनांक 10.08.2023 को एनआर तद्पश्चात दिनांक 15.09.2023 से दिनांक 06.01.2024 तक एमयू आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—19628240 की जांच में, बी—फेस की मीटरिंग वोल्टेज कम/शून्य पाए जाने के पश्चात दिनांक 19.06.2023 को चैक मीटर संख्या—5136229 स्थापित किया गया तथा दिनांक 26.07.2023 को चैक मीटर फाइनल किया गया है। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—19628240 (केवीएएच), 26.93 प्रतिशत धीमा पाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26.07.2022 से दिनांक 26.07.2023 तक की अवधि में परिवादिनी द्वारा की गई विद्युत खपत के सापेक्ष विद्युत मूल्य आदि की धनराशि रू0 251466.00 का राजस्व निर्धारण किया गया है जिसे परिवादिनी को दिनांक 07.12.2023 को जारी बिल में शामिल किया गया है, जिसे परिवादिनी द्वारा विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा टेंपर रिपोर्ट तथा परिवादिनी के मौखिक आपत्ति का संज्ञान लेते हुए उक्त निर्धारित धनराशि (रू0 251466.00) को संशोधित करते हुए रू0 82477.00 का निर्धारण किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—19628240 के एमआरआई / टेंपर (Summary) रिपोर्ट के आधार पर 141 दिनों के लिए विद्युत मूल्य आदि का निर्धारण किया गया है जबकि एमआरआई रिपोर्ट पर उपलब्ध लोड सर्वे के अनुसार दिनांक 23.05.2023 से दिनांक 26.07.2023 तक की अवधि में ही बी—फेस पर मीटरिंग वोल्टेज कम/शून्य दर्ज पाई गई है। लोड सर्वे रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार उल्लेखित अवधि में प्रश्नगत मीटर की बी—फेस पर मीटरिंग वोल्टेज अनुलब्ध रही है:—

क.सं.	माह	अवधि	कुल दिनों की संख्या
1	मई 2023	23.05.2023 से 31.05.2023	9
2	जून 2023	01.06.2023 से 30.06.2023	30
3	जुलाई 2023	01.07.2023 से 26.07.2023	26
		कुल दिनों की संख्या	**65**

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन के विरूद्ध, कार्यालय ज्ञापन संख्या—237 दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से किया गया राजस्व निर्धारण धनराशि रू0 82977.00 को निरस्त करते हुए, 141 दिनों के स्थान पर उक्त तालिका के अनुसार माह मई, जून तथा जुलाई 2023 में दर्ज विद्युत खपत के सापेक्ष क्रमशः 9, 30 तथा 26 दिनों (कुल 65 दिवस) का राजस्व निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः....03

वाद सं0–05/2023
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन के विरूद्ध किए गए राजस्व निर्धारण धनराशि रू0 82977.00 को निरस्त करते हुए निर्णय निकाय में दी गई तालिका के अनुसार माह मई, जून तथा जुलाई 2023 में दर्ज विद्युत खपत के सापेक्ष कमशः 9, 30 तथा 26 दिनों (कुल 65 दिवस) का राजस्व निर्धारण करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/03/2024 11/03/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं० 13 / 2024

परिवादी :– श्रीमती गुलशाना पत्नी श्री असलम, निवासी ग्रा0 रोलाहेड़ी, पोस्ट हाल्लूमाजरा, भगवानपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, भगवानपुर, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 11.03.2024**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती गुलशाना पत्नी श्री असलम, निवासी ग्रा0 रोलाहेड़ी, पोस्ट हाल्लूमाजरा, भगवानपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– BH2D32616951 के सन्दर्भ में कथन किया गया है, उनका बिल वर्ष 2016 से जून 2022 तक निरन्तर सही आ रहा था, जो कि रू0 5804 बकाया था। कोरोना के चलते यह बिल जमा नहीं कर पायी थी। उनका घरेलू बिल अगस्त 12.08.2022 को इस प्रकार से उनको दिया गया है कि मीटर से 1700 रीडिंग एक बार में ही निकाल दी है एवं रू0 11000 का अतिरिक्त बिल मेरे बिल में सम्मिलित कर दिया गया है। जो कि 5804+11000 टोटल बिल रू0 18487 का उनको दिया गया है। उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भगवानपुर कार्यालय में शिकायत दी गई। दिनांक 29.08.2022 को मीटर की जांच की गई। जांच में मीटर में गड़बड़ी पाई गयी थी। मीटर जांचकर्ता ने मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र वर्ष 2022–2023 में लिखा है कि चैक मीटर नहीं लग सकता क्योंकि मीटर खराब हो गया है। उनके द्वारा 20.10.2022 को दूसरी शिकायत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी भगवानपुर के कार्यालय में प्रेषित किया गया था, जिसमे उनके द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र में मीटर के जम्प होना लिखा गया था। लगभग डेढ़ माह पश्चात मीटर आटोमेटिक चल गया था। अक्टूबर माह की रीडिंग 262, बिल में अंकित की गयी थी जिसका बिल रू0 1445 का दिया गया है, जो कि अवैध है। इसी प्रकार दिसम्बर 2022 को जो बिल उनको दिया गया है वह बिल रू0 557.00 का है। उनके द्वारा सी0एम0 हेल्प लाइन / वि0वि0ख0 भगवानपुर शिकायत सं0 358013 दिनांक 17.08.2022 को दर्ज कराई थी परंतु उनकी शिकायत पर किसी प्रकार का निस्तारण नहीं किया है और बिल को सही बताया गया है, जो कि गलत है। दिनांक 19.11.2022 को चैक मीटर लगाया था, मीटर में चैक मीटर की रीडिंग बराबर पाई गयी है। दिनांक अगस्त 12.08.2022 व अक्टूबर 19.10.2022 के बिलों को अप्रैल, जून व दिसम्बर माह के बिलों के बराबर कर दिया जाए व पेनल्टी एवं अतिरिक्त देय को खत्म करा दिया जाए। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके बिल को सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 432 दिनांक 21.02.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन सं0 BH2D32616951 पर स्थापित मीटर की मीटर रीडिंग माह अगस्त 2022 को मीटर रीडर द्वारा 6585 फीड की गई थी, जिसका बिल सीडीएफ

का बना था। उपभोक्ता के अनुरोध पर माह दिसम्बर 2022 में, अगस्त 2021 से दिसम्बर 2022 तक औसत युनिट के आधार पर विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया था, तथा उपभोक्ता को चैक मीटर लगाने हेतु कहा गया था। जिस पर उपभोक्ता ने चैक मीटर लगवाया और दोनों मीटर की रीडिंग बराबर पाई गई। इसलिए उपभोक्ता का पुराना मीटर उपभोक्ता के परिसर पर ही छोड़ दिया गया। इसके उपरान्त उपभोक्ता के मीटर में मीटर रीडिंग चलती रही और वर्तमान में मीटर खराब हो चुका है।

मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री असलम तथा विपक्षी की ओर से खण्डीय लेखाकार श्री सुनील आर्या उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार पर दिनांक 11.12.2015 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 24.11.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 31.12.2023 को एनआर तथा दिनांक 17.01.2024 एवं 22.02.2024 को आईडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 12.08.2022 को लगभग दो माह में परिवादिनी द्वारा की गई विद्युत खपत के सापेक्ष 2084 (6585—4501) यूनिट का विद्युत बिल जारी किया गया है, जिसे पूर्व की अवधि में दर्ज विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक बताते हुए परिवादिनी द्वारा विवादित ठहराया गया है। परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 07.06.2021 से दिनांक 08.06.2022 तक लगभग 12 माह की अवधि में कुल 646 यूनिट अर्थात लगभग 54 यूनिट प्रतिमाह की औसत दर से विद्युत का उपभोग किया गया है, जबकि दिनांक 08.06.2022 से दिनांक 12.08.2022 तक लगभग दो माह की अवधि में परिवादिनी द्वारा 2084 यूनिट अर्थात 1042 यूनिट प्रतिमाह की औसत दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार दिनांक 08.06.2022 से दिनांक 12.08.2022 तक की अवधि में अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक विद्युत की खपत दर्ज की गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है।

पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार मीटर संख्या—118604 पर दिनांक 08.06.2022 को 4501 रीडिंग दर्ज पाई गई, जबकि मीटर सिलिंग पत्र संख्या—61 / 34 दिनांक 29.08.2022 के अनुसार प्रश्नगत मीटर पर दिनांक 29.08.2022 को मीटर रीडिंग शून्य पाई गई तथा इसी मीटर पर दिनांक 19.11.2022 को मीटर सिलिंग पत्र संख्या—176 / 38 के अनुसार मीटर रीडिंग 6911 पाई गई। इस प्रकार उपरोक्त तिथियों पर प्रश्नगत मीटर संख्या—118604 पर दर्ज असामान्य मीटर रीडिंग से स्पष्ट होता है कि उक्त मीटर दोषपूर्ण हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादिनी के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या—118604 पर दिनांक 08.06.2022 के पश्चात दर्ज की गई विद्युत खपत संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 08.06.2022 तथा इसके पश्चात जारी सभी बिलों को निरस्त करते हुए पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 08.06.2022 तथा इसके पश्चात जारी सभी बिलों को निरस्त करते हुए पूर्व में एमयू आधार पर जारी बिलों में दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/03/2024 11/03/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 14/2024

परिवादी :– अफजल अहमद पुत्र मंजूर मो0– किला निकट रंग साज मस्जिद कस्बा मंगलौर तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रुडकी (ग्रामीण), हरिद्वार।

निर्णय दिनांक 18.3.2024

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी अफजल अहमद द्वारा परिवाद पत्र कागज स0–1 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी के नाम एक घरेलू कनेक्शन स0–RD1720089343, 2 KW भार का लगा हुआ है जिसके बिल दिसम्बर 2021 से विभाग ने RDF के बिल भेजने शुरु किये थे उसके बाद विभाग लगातार RDF के बिल भेज रहा है जबकि प्रार्थी का मीटर सही है जिसमें 3205 रीडिंग है विभाग ने बिल ठीक नहीं किया है। परिवादी की ओर बिल ठीक कराने व UPCL के विरुद्ध कार्यवाही करने की की प्रार्थना की गई है।

विपक्षी विभाग के उत्तरवाद पत्र कागज स0–4 (मय संलग्नक कागज स0–5 ता 16) में कथन किया कि परिवादी का कनेक्शन स0–RD21720089343 अफजल अहमद पुत्र मंजूर मो0– किला निकट रंग साज मस्जिद कस्बा मंगलौर के नाम से घरेलू उपयोग हेतु 2.0 KW दिनांक 15.09.2006 को निर्गत किया गया था। कनेक्शन पर स्थापित विद्युत मापक स0–U351931 की रिडींग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। बीजक संशोधित किये जाने के उपरांत उपभोक्ता द्वारा रुपये 27537.00 का भुगतान किया जाना है। विपक्षी ने कथन किया है कि उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन स0–RD 21720089343 के सापेक्ष बीजक का भुगतान अन्तिम बार माह 02/2020 में किया था। उसके बाद वर्तमान तक उपभोक्ता नें विभाग को बकाया का कोई भुगतान नहीं किया है। विपक्षी जवाब की प्रति परिवादी को प्रेषित की गयी जिस पर परिवादी ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। पत्रावली पर सुनवाई के समय मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि के रुप में अधिवक्ता सलमान खान उपस्थित आये। विपक्षी विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

मंच द्वारा परिवादी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने बिल में किये संशोधन धनराशि पर कोई आपत्ति नहीं की तथा बिल धनराशि रुपये 27537.00 को अविलम्ब विभाग में जमा करने का कथन किया गया।

क्रमशः........2

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत बिल दुरुस्त कर दिया गया है जिस पर परिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त स्थिति में विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है तथा परिवादी को संशोधित बिल धनराशि रुपये 27537.00 का भुगतान विपक्षी को अदा करना है, तदानुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का दौरान वाद समाधान कर दिया गया है। परिवादी संशोधित बिल धनराशि रुपये 27537.00 का भुगतान विपक्षी को अविलम्ब अदा करे। परिवादी द्वारा बिल धनराशि अदा न करने की स्थिति में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी के विरुद्व नियमानुसार धन वसूली कार्यवाही करे। आदेश अनुपालन 30 दिन में सुनिश्चित हो। आदेश अनुपालन आख्या अनुपालन दिनांक के सात दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत हो। पत्रावली अभिलेखागार में सचिंत हो।

18/03/2024

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

18/03/2024

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

18/03/2024

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 16 / 2024

परिवादी :– श्री कल्लू पुत्र श्री सादक, ग्राम–अकबरपुर ढाढेकी, मंगलौर, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम — आदेश दिनांक 27.03.2024

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री कल्लू पुत्र श्री सादक, ग्राम–अकबरपुर ढाढेकी, मंगलौर, रूड़की द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD1F311047649 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि दिनांक 02.11.2023 को फोन पर उन्हें रू0 537.00 का बिल प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने दिनांक 03.11.2023 को जमा कर दिया था। इससे पूर्व भी उन्होंने सभी बिलों की अदायगी समय से की है। इसके बाद उनको दिनांक 10.11.2023 को फोन पर रू0 13693.00 का बिल प्राप्त हुआ, जबकि उनके द्वारा पिछला बिल दिनांक 03.11.2023 को ही अदा किया था। इसके बाद दिनांक 17.11.2023 को मीटर रीडर उनके घर पर आया और बताया गया कि उनका मीटर खराब है और उनको आईडीएफ का बिल रू0 299.00 का बिल दिया गया। इस बिल को लेकर जमा करने वह लण्ढौरा कार्यालय में पहुंचे तो वहां उनको बताया गया कि उनका बिल रू0 13693 का है। उनके द्वारा मीटर रीडर से पूछने पर उनका बिल इतना अधिक फोन पर कैसे मिला है, तो मीटर रीडर ने बताया कि यह बिल ऑफिस से बनाया गया है। उनको एक माह में दो बिल मिले हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए तथा मीटर बदलवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 1092 दिनांकित 27.02.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD1F311047649 घरेलू उपयोग हेतु 01 किलोवाट भार में दिनांक 14.10.1991 को निर्गत किया गया था। संयोजन संख्या RD1F311047649 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा ने अपने कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या RD1F311047649 पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 15709948 निरीक्षण के दौरान खराब (नो डिस्प्ले) पाया गया है। जिस कारण उक्त संयोजन का बीजक आईडीएफ के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD1F311047649 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 1117.84 धनराशि बकाया है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी लण्ढौरा के द्वारा सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षणशाला, रूड़की द्वारा दिनांक 25.02.2024 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या 507 / 06 के माध्यम से खराब विद्युत मापक संख्या 15709948 के स्थान पर नया विद्युत मापक संख्या यू 901342 स्थापित कर दिया गया है।

क्रमशः......02

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट भार में दिनांक 14.10.1991 से गतिमान है। परिवादी को दिनांक 18.08.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 03.10.2023 तथा दिनांक 02.11.2023 को एनआर आधार पर बिल जारी किया गया है। तद्पश्चात विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 10.11.2023 को एमयू आधार पर 2211 यूनिट का विद्युत बिल जारी करते हुए पूर्व में एनआर आधार पर जारी बिलों के सापेक्ष आवश्यक समायोजन प्रदान किया गया है। इस प्रकार दिनांक 18.08.2023 से दिनांक 10.11.2023 तक, लगभग दो माह 22 दिनों में कुल 2211 यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गई है जिसे पूर्व में दर्ज विद्युत खपत की तुलना में अत्यधिक बताते हुए परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 1092 दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी का विद्युत मीटर दोषपूर्ण हो गया था तद्नुसार परिवादी को दिनांक 01.02.2024 को जारी विद्युत बिल को संशोधित करते हुए रू0 1117.84 का बिल जारी किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का उक्त दोषपूर्ण मीटर दिनांक 25.02.2024 को बदल दिया गया है।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	27/03/2024	27/03/2024
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 17/2024

परिवादी :– श्रीमती नफीसा पत्नी दिलशाद, मोहल्ला–बन्दरटोल, कस्बा–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक 27.03.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्रीमती नफीसा पत्नी दिलशाद, मोहल्ला–बन्दरटोल, कस्बा–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा घरेलू विद्युत संयोजन संख्या RD11723098192 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके बिल पहले तो विद्युत विभाग ने गलत रीडिंग के बनाये, उसके बाद नवम्बर 2021 से आरडीएफ के भेजने प्रारम्भ कर दिये तथा वर्तमान तक भी आरडीएफ में ही बिल भेजे जा रहे हैं, जबकि मीटर सही से रीडिंग आदि दर्शा रहा है। पिछले दो वर्षो से भी अधिक समय से विद्युत विभाग ने केवल आरडीएफ के ही बिल भेजे गये हैं। अक्टूबर 2023 में उपखण्ड अधिकारी को भी इस सम्बन्ध में एक पत्र दिया गया था, जिस पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी ने बिल को ठीक कर दिया था तथा बताया कि बिल पहले अकाउंटेट फिर सहायक अभियन्ता राजस्व और सबसे बाद में अधिशासी अभियन्ता द्वारा पास किया जाएगा। परन्तु नवम्बर माह में भी बिल ठीक होकर प्राप्त नहीं हुआ तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 20.11.2023 को अधिशासी अभियन्ता ने बिल रीविजन को रिजेक्ट कर दिया है और एमआरआई कराने को बोला था। उपखण्ड अधिकारी ने तुरन्त ही दिसम्बर माह में एमआरआई कराकर एमआरआई में दर्शाई रीडिंग 3590 पर बिल को रिवाइज करके खण्ड कार्यालय को भेज दिया था जिसे फिर से अकाउंटेन्ट एवं सहायक अभियन्ता राजस्व ने भी पास कर दिया था, परन्तु अधिशासी अभियन्ता ने फिर से दूसरी बार बिल रीविजन को रिजेक्ट कर दिया, जिस कारण उसको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा। बिल रीविजन की इतनी लम्बी प्रकिया के दो–दो बार भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिल को निरस्त कर दिया गया। अतः मंच से अनुरोध है कि आरडीएफ में बने दो बिलों का भुगतान समायोजित कराते हुए उनका बिल संशोधित करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 1091 दिनांकित 27.02.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं0 RD11723098192 उपभोक्ता के नाम पर 2 किलोवाट भार में दिनांक 01.02.2013 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं0 RD11723098192 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 565 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD11723098192 पर स्थापित विद्युत मापक सं0 80292170 की रीडिंग के आधार पर बीजक

क्रमशः......02

को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं0 RD11723098192 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 3665.00 धनराशि बकाया है जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादिनी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार में दिनांक 01.02.2013 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 10.09.2021 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 19.11.2021 से दिनांक 07.02.2024 तक लगातार आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जो कि मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत विनियम, 2020 के बिंदु 5.2.1 (7) का उल्लंघन है। विपक्षी विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी दशा में दो बिलिंग चक्रों के बाद अनंतिम बिल जारी न हो सके। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 1091 दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—80292170 पर दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर परिवादिनी को जारी समस्त आरडीएफ बिलों को संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादिनी के बिलों में रू0 24751.16 का समायोजन देते हुए कुल रू0 3665.84 की धनराशि का बिल जारी किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/03/2024 | 27/03/2024

(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 19/2024

परिवादी :– श्री भगवत सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री उत्तम सिंह रावत, बस्ती राम पाठशाला, सन्यास रोड, कनखल, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, हरिद्वार।

आदेश दिनांक 18.03.2024

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री भगवत सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री उत्तम सिंह रावत, बस्ती राम पाठशाला, सन्यास रोड, कनखल, हरिद्वार द्वारा नये विद्युत संयोजन के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 09.02.2024 को विद्युत विभाग में अस्थाई प्रीपेड कनेक्शन हेतु रसीद सं0–31/048886, 32/048886 के द्वारा भुगतान कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में मंच को अवगत कराना है कि उनके किरायेदारी से सम्बन्धित एक वाद माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। परन्तु फिर भी उनके घर की विद्युत सप्लाई उनके विरोधी पक्ष द्वारा काट दी गई थी, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन्स के अनुसार अवैधानिक है और उक्त व्यक्ति द्वारा संयोजन करवाने से रोका गया। जिस पर जे0ई0 द्वारा उनका संयोजन रोक दिया गया। उनके तीन बालक अलग–अलग महाविद्यायल में अध्यनरत हैं जिससे उनके अध्ययन में लगातार व्यवधान हो रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके नाम पर आवेदित संयोजन जल्द से जल्द लगवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 337 दिनांकित 02.03.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त साईट पर वाद विवाद की स्थिति है, जिस कारण अवर अभियन्ता द्वारा पूर्व में मीटर स्थापित नहीं किया जा सका, परन्तु अब अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 02.03.2024 को उक्त संयोजन पर मीटर स्थापित कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री भगवत सिंह रावत को सुना गया तथा विपक्षी अनुपस्थित रहे। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पत्रावली का निस्तारण किया जा रहा है।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा अस्थायी विद्युत संयोजन हेतु आवश्यक शुल्क, रसीद संख्या–31/048886 तथा 32/048886 दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से विपक्षी विभाग के कार्यालय में जमा किया गया है, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2024 तक परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत न किए जाने के परिणामस्वरूप परिवादी द्वारा यह

क्रमशः......02

परिवाद दर्ज कराया गया है। मंच द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में अपना पक्ष / जवाब प्रस्तुत किए जाने हेतु विपक्षी विभाग को नोटिस जारी किया गया, जिसके कम में विपक्षी विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 337 दिनांकित 02.03.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त साईट पर वाद विवाद की स्थिति है, जिस कारण अवर अभियन्ता द्वारा पूर्व में मीटर स्थापित नहीं किया जा सका, परन्तु अब अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 02.03.2024 को उक्त संयोजन पर मीटर स्थापित कर दिया गया है। विपक्षी के इस जवाब की पुष्टि परिवादी द्वारा सुनवाई के समय दिनांक 11.03.2024 को मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 02.03.2024 को मीटर स्थापित कर दिया गया है।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/03/2024 18/03/2024

(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com
Phone: 01334-265368

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 20 / 2024

परिवादी :– श्री मो0 अहमद पुत्र श्री इस्माईल, मौहल्ला किला मंगलौर, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

आदेश दिनांक 27.03.2024

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मो0 अहमद पुत्र श्री इस्माईल, मौहल्ला किला मंगलौर, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– RD21720098309 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनके द्वारा बिलों का नियमित भुगतान किया जा रहा है। विभाग ने आरडीएफ के बिल भेजने शुरू किये जिसे जानकारी के अभाव में उनके द्वारा जमा नहीं किया गया, उसके बाद से विभाग लगातार आरडीएफ के बिल ही भेज रहा है जबकि उनका मीटर सही चल रहा है, जिसमें 10999 रीडिंग मौजूद है। विभाग से बार–बार अनुरोध करने पर भी बिल ठीक नहीं किया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1147 दिनांक 29.02.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं0 RD21720098309 उपभोक्ता के नाम पर 2 किलोवाट 18.04.2013 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं0 RD21720098309 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 581 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD21720098309 पंर स्थापित विद्युत मापक सं0 22914393 की रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन सं0 RD21720098309 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 9857.27 धनराशि बकाया है जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 18.04.2013 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 10.10.2021 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात दिनांक 08.12.2021 से दिनांक 08.02.2024 तक लगातार आरडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जो कि मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत विनियम, 2020 के बिंदु 5.2.1 (7) का उल्लंघन है।

क्रमशः......02

विपक्षी विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी दशा में दो बिलिंग चक्रों के बाद अनंतिम बिल जारी न हो सके। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 1147 दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—914393 पर दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर परिवादी को पूर्व में जारी समस्त आरडीएफ बिलों को संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी के बिलों में रू0 17960.73 का समायोजन देते हुए कुल रू0 9857.27 की धनराशि का बिल जारी किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/03/2024 | 27/03/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 21 / 2024

परिवादी :– श्री अनीस पुत्र जमील, मौहल्ला पठानपुरा, कस्बा मंगलौर, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 27.03.2024**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अनीस पुत्र जीमल, मौहल्ला पठानपुरा, कस्बा मंगलौर, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– RD2M421096611 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उनके द्वारा बिलों का नियमित भुगतान किया जा रहा है। विभाग ने आरडीएफ के बिल भेजने शुरू किये, जिसे जानकारी के अभाव में उनके द्वारा जमा नहीं किया जा सका, उसके बाद से विभाग लगातार आरडीएफ के बिल ही भेज रहा है जबकि उनका मीटर सही चल रहा है, जिसमें 5200 रीडिंग मौजूद है। विभाग से बार–बार अनुरोध करने पर भी बिल ठीक नहीं किया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1184 दिनांक 29.02.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं0 RD2M421096611 उपभोक्ता के नाम पर 2 किलोवाट 13.03.2012 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं0 RD2M421096611 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 587 दिनांक 28.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2M421096611 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 16199.00 धनराशि बकाया है जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकरी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उपस्थित पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 2 किलोवाट भार में दिनांक 13.03.2012 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 09.02.2021 तक परिवादी को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदपश्चात दिनांक 05.05.2021 से दिनांक 21.10.2023 तक लगातार एनआर / आरडीएफ के आधार पर अनंतिम बिल जारी किए गए हैं जो कि मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत विनियम, 2020 के बिंदु 5.2.1 (7) का उल्लंघन है। विपक्षी विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाया जाना आवश्यक है ताकि किसी भी दशा में दो बिलिंग चक्रों के बाद अनंतिम बिल जारी न हो सके। **क्रमशः......02**

विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 1184 दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को आरडीएफ आधार पर जारी समस्त बिलों को संशोधित करते हुए रू0 29053.00 का समायोजन दिया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा रू0 16199.00 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—600572 को दिनांक 11.11.2023 को मीटर संख्या—यू 986401 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/03/2024 — 27/03/2024

(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA ,HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No:...24.../2024

Mr./~~Mrs.~~/ ~~M~~/s ...Anand Singh... **V/S** Executive Engineer, ...Kotdwar...

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
		आज दिनांक 22.02.2024 को विद्युत वितरण खण्ड/ उपखण्ड कार्यालय दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल मे मंच द्वारा आयोजित शिविर मे यह वाद पंजीकृत किया गया। मोके पर सुनवाई की गई। परिवादी/परिवादी के प्रतिनिधि श्री आनन्द सिंह चौधरी एवं विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी श्री कु० नन्दिता अग्रवाल/श्री रवि अरोड़ा के तर्क सुने गए। मौके पर ही सुनवाई पूर्ण की गई। आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश हो। [illegible] [illegible]	
	01/03/24	आदेश पारित किया गया। **आदेश** परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के IDF मीटर को नियमानुसार अविलम्ब बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करें/ अनुपालन आख्या आदेश तिथि के 30 दिनों के भीतर मंच के समक्ष पेश हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [illegible] 01/03/2024 [illegible] 01/03/2024	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA ,HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 25/2024

Mr./~~Mrs.~~/ ~~M/s~~ Diyanpal Singh **V/S** Executive Engineer, Kotdwar

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
		आज दिनांक 22.02.2024 को विद्युत वितरण खण्ड/ उपखण्ड कार्यालय दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल मे मंच द्वारा आयोजित शिविर मे यह वाद पंजीकृत किया गया। मोके पर सुनवाई की गई। परिवादी/परिवादी के प्रतिनिधि श्री श्यामपाल सिंह एवं विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी श्री मो. नन्दिता अग्रवाल / श्री रवि अरोड़ा के तर्क सुने गए। सुनवाई पूर्ण की गई। आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश हो। [signature] [signature]	
	01/03/24	आदेश पारित किया गया। **आदेश** परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के IDF मीटर को नियमानुसार अविलंब बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। अनुपालन आख्या आदेश तिथि के 30 दिनों के भीतर मंच के समक्ष पेश हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] 01/03/2024 [signature] 01/03/2024	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA ,HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 26/2024

Mr./~~Mrs.~~/~~M~~/s Choki **V/S** Executive Engineer, Kotdwar

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	22.02.2024	आज दिनांक 22.02.2024 को विद्युत वितरण खण्ड/ उपखण्ड कार्यालय दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल मे मंच द्वारा आयोजित शिविर मे यह वाद पंजीकृत किया गया। मोके पर सुनवाई की गई। परिवादी/परिवादी के प्रतिनिधि श्री दीपक रावत एवं विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी श्री कु० नन्दिता अग्रवाल / रवि अरोड़ा के तर्क सुने गए। सुनवाई पूर्ण की गई। आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश हो [signature] [signature]	
	01/03/24	आदेश पारित किया गया। **आदेश** परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के IDF मीटर को नियमानुसार अविलंब बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अनुपालन आख्या आदेश तिथि के 30 दिनों के भीतर मंच के समक्ष पेश हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो [signature] 01/03/2024 [signature] 01/03/2024	

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
INDUSTRIAL AREA ,HILL BYPASS, HARIDWAR

Case No: 27/2024

Mr./~~Mrs.~~/~~M/s~~ Kedar Singh **V/S** Executive Engineer, Kotdwar

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
		आज दिनांक 22.02.2024 को विद्युत वितरण खण्ड/ उपखण्ड कार्यालय दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल मे मंच द्वारा आयोजित शिविर मे यह वाद पंजीकृत किया गया। मोके पर सुनवाई की गई। परिवादी/परिवादी के प्रतिनिधि श्री केदार सिंह एवं विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी श्री नन्दिता अग्रवाल / श्री राय के तर्क सुने गए। सुनवाई पूर्ण की गई। आदेश हेतु पत्रावली मंच के समक्ष पेश हो। (signatures)	
	01/03/24	आदेश पारित किया गया। **आदेश** परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के IDF मीटर को नियमानुसार अविलम्ब बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। अनुपालन आख्या आदेश तिथि के 30 दिनों के भीतर मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (signature) 01/03/2024 (signature) 01/03/2024	

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार—249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 28 / 2024

परिवादी :– श्री राजीव सिंघल पुत्र श्री अमरनाथ, मोहल्ला मानकचौक, कस्बा मंगलौर, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक 27.03.2024

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री राजीव सिंघल पुत्र श्री अमरनाथ, मोहल्ला मानकचौक, कस्बा मंगलौर, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– RD11721087065 के सन्दर्भ में कथन किया गया है उन्होंने एक 2 किलोवाट भार का संयोजन वर्ष 2003 से लिया हुआ है, जिसके बिलों का नियमित भुगतान किया जा रहा है। उनकी आज तक औसत यूनिट खपत कभी 400 से 410 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर नहीं रही है, परन्तु विभाग के मीटर रीडर ने दिनांक 23.01.2024 को जो बिल दिया है उसमें कुल खपत 26286–19014=7272 यूनिट दिखाई है जबकि मीटर रीडर ने पिछले माह जो रीडिंग ली थी उसका 19014 रीडिंग का फोटो भी दिखाया है, एक माह में इतनी खपत किसी प्रकार से नहीं हो सकती है यह मीटर की खराबी है और हाई जम्प है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 1146 दिनांक 29.02.2024 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आरपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन सं0 RD11721087065 उपभोक्ता के नाम पर 2 किलोवाट 17.07.2003 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन सं0 RD11721087065 के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी मंगलौर ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 585 दिनांक 28.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन RD2M421096611 का बिलिंग हिस्ट्री एवं संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक सं0 जी194594 की एमआरआई रिर्पोट का अवलोकन करने पर विद्युत बीजक ठीक पाया गया। विद्युत संयोजन सं0 RD11721087065 की बीजक रू0 22958.00 धनराशि बकाया है जो कि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री आकाश सिंघल तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार में दिनांक 17.07.2003 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक

क्रमशः......02

15.12.2023 तक एमयू आधार पर परिवादी को बिल जारी किए गए हैं जिसका भुगतान परिवादी द्वारा लगातार समय पर किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.01.2024 को जारी विद्युत बिल में मीटर रीडिंग—आईआर 19014 तथा एफआर 26286 दर्शाते हुए कुल 7272 यूनिट के स्थान पर सिलिंग आधार पर 2051 यूनिट का बिल जारी किया गया है। परिवादी द्वारा दिनांक 23.01.2024 तथा दिनांक 14.02.2024 को जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत को पूर्व में निर्गत बिलों की तुलना में अत्यधिक कहते हुए विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 1146 दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को जारी विद्युत बिल परिवादी के संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज मीटर रीडिंग के अनुसार सही पाया गया है तथा परिवादी को जारी विद्युत बिल का भुगतान अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के मीटर संख्या—194594 की एमआरआई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 23.01.2024 की अवधि में दिनांक 29.12.2023 को अधिकतम डिमांड, 4.76 किलोवाट दर्ज की गई है। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 23.01.2024 तक कुल 39 दिनों में लगातार 24 घंटे के लिए अधिकतम भार-4.76 किलोवाट भार का उपभोग किए जाने पर मात्र 4455.36 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज होगी, जबकि उक्त अवधि में विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत की खपत 7272 यूनिट दर्शायी गई है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा गत 13 माह में औसतन 255 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 23.01.2024 तथा दिनांक 24.02.2024 को जारी विद्युत बिलों को निरस्त करते हुए पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों की औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है तथा परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—194594 को तत्काल बदले जाने की भी आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 23.01.2024 तथा दिनांक 24.02.2024 को जारी विद्युत बिलों को निरस्त करते हुए पूर्व में एमयू आधार पर जारी तीन बिलिंग चक्रों की औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करते हुए परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—194594 को नियमानुसार तत्काल बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/03/2024 27/03/2024

(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>